भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 310

(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

कर्नाटक में ग्रामीण संपर्क के लिए स्वीकृति

310. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कर्नाटक में ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए स्वीकृति देने में कोई विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु निधि जारी करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्नाटक के चिक्कमगलुरु जिले में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी और इस प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग) कर्नाटक राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों की मंज़ूरी में कोई देरी नहीं हुई है। पीएमजीएसवाई को एक बारगी विशेष कार्यकलाप के तौर पर शुरू किया गया था , ताकि कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में उल्लेखित निर्धारित आबादी वाली उन पात्र सड़क संपर्करहित बसावटों को , जो अभी तक सड़क संपर्कता से नहीं जुड़े थे, को बारहमासी एकल सड़क संपर्कता द्वारा ग्रामीण संपर्कता प्रदान की जा सके। इस योजना ने अपने विभिन्न चरणों , पीएमजीएसवाई- I, II और III के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अपनी समयसीमा पूरी कर ली है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने हाल ही में सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई के चरण IV को शुरू किया है ताकि 2011 की जनगणना के अनुसार 25,000 सड़क संपर्कता विहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान की जा सके। पीएमजीएसवाई -IV के पूरा होने की समयसीमा मार्च 2029 है। सड़क परियोजनाओं को मंज़ूरी, संबंधित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती है , जिनकी जांच मंत्रालय की तकनीकी विंग , यानी राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) करती है। इसके बाद , कार्यक्रम के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार , मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा सभी अनुपालनों के साथ ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। वर्तमान में , कर्नाटक राज्य की तरफ से मंज़ूरी के लिए कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। हालांकि , मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है और पीएमजीएसवाई-IV के तहत राज्यों से प्रस्तावों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है।

पीएमजीएसवाई के तहत, विभाग एक इकाई के तौर पर राज्य सरकार को निधियां जारी करता है, और राज्य सरकार उन्हें आगे ज़िला और उप -जिला स्तर पर आवंटित करती है। पीएमजीएसवाई के तहत राज्यों को उनके लिए स्वीकृत किए गए कार्यों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। आज तक, पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत कर्नाटक राज्य को कुल 24,267.78 कि.मी. सड़कों की लंबाई स्वीकृत की गई है , जिसमें से 23,971.94 कि.मी. लंबाई की सड़कें ₹ 8426.74 करोड़ (राज्यांश सहित) की कुल लागत से पहले ही पूरी की जा चुकी है। चालू वित्त वर्ष में, चल रहे कार्य के आधार पर कर्नाटक राज्य के लिए ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है , जिसमें से ₹ 25 करोड़ विभाग ने पहले ही जारी कर दिए हैं।

कर्नाटक राज्य के चिक्कमगलुरु जिले में , पीएमजीएसवाई के अलग -अलग कार्यकलापों/घटकों के तहत कुल 867.03 कि.मी. सड़कों की लंबाई स्वीकृत की गई है, जिसमें से 866.23 कि.मी. सड़कों की लंबाई कुल ₹ 359.42 करोड़ (राज्यांश सहित) पूरी की जा चुकी है, और वर्तमान में चिक्कमगलुरु जिले में कोई कार्य लंबित नहीं है। निधि की स्थिति के साथ जिला-वार प्रगति "omms.nic.in->Progress Monitoring:-> MPR1" पर देखी जा सकती है।

******